न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2021 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री रामकिशोर सैनी पुत्र श्री लालचन्द सैनी(मालिक विक्रेता) निवासी जीरोता तह. व जिला दौसा। एफबीओ मैसर्सः— गंगादेवी सैनी बूथ नम्बर 20184 जीएसएस के बाहर जयपुर रोड दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

—: आदेश :— दिनांकः— 27.04.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.03.2021 को दोपहर पूर्व 11:40 बजे एफबीओ मैसर्सः— गंगा देवी सैनी बूथ नं. 20184 जीएसएस के बाहर जयपुर रोड दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री रामकिशोर सैनी पुत्र श्री लालचन्द सैनी(मालिक विक्रेता) निवासी जीरोता तह. व जिला दौसा उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त डेयरी का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर फ्रीज में 500 एमएल वजनी के 20 पॉली पैक पाश्चुराइज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमें से 4 पॉली पैक **X** 500 एमएल नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत 84 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 पॉली पैक **X** 500 एमएल पाश्चुराइज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में एक—एक पॉली पैक 500 एमएल वजनी बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक में 40—40 बूंद फार्मलीन की डालकर प्रत्येक बोतल को एयरटाइट ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों पर चिपकाकर एवं मूल पैकिंग लेबल को नमूना बोतलों पर लगाकर अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ

दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 2606 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउंड में चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर **प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद** बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं **द्वारा दिनांक 12.03.2021 को खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील** बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.03.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./210/एक्ट/2021/387 दिनांक 25.03.2021 के अनुसार नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब दिनांक 27.04.2022 को प्रस्तुत किया गया। **तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।**

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./210/एक्ट/2021/387 दिनांक 25.03.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) के **नमूने मे Milk fat** की मात्रा 2.60 प्रतिशत ही पाई गई है, जो कि कम से कम 3.00 प्रतिशत होना चाहिए था। पाश्चुराइज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) के नमूने में **Milk fat** का प्रतिशत तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे यहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। हम पैकिंग थैली में सरस डेयरी से दुध क्रय कर पैकिंग ही बेचते है। सरस डेयरी द्वारा हमे बिल नहीं देते है। प्रतिदिन ट्रेक शीट देते है जो जॉच के समय हमारे द्वारा जॉच अधिकारी को उपलब्ध करवा दी गई थी। हम दुध को पैकिंग नहीं करते है। केवल बुथ पर जयपुर डेयरी के जो प्रॉडक्ट आते है वो ही बेचते है। हम किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करते है। मेरे उपर जो मिलावट के आरोप लगाये है वो गलत है। अतः वाद को खारिज करने की कृपा करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./210/एक्ट/2021/387 दिनांक 25.03.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड **टोन्ड मिल्क(सरस) का नमूना सबस्टेंडर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक** अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाश्चुराइज्ड टोन्ड मिल्क(सरस) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) **का उल्लंघन होने से** अपराध कारित होने पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री रामकिशोर सैनी पुत्र श्री लालचन्द सैनी(मालिक विक्रेता) निवासी जीरोता तह. व जिला दौसा एफबीओ मैसर्सः– गंगादेवी **सैनी बूथ नम्बर 20184 जीएसएस के बाहर जयपुर रोड दौसा पर 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये)** की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.04.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांकः– दिनांकः– .2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रामकिशोर सैनी पुत्र श्री लालचन्द सैनी(मालिक विक्रेता) निवासी जीरोता तह. व जिला दौसा। एफबीओ मैसर्सः– गंगादेवी सैनी बूथ नम्बर 20184 जीएसएस के बाहर जयपुर रोड दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा